

“परंतु यह और कि जहां समझौता आयोग के समक्ष किसी कार्यवाही का धारा 245जक के अधीन उपशमन हो जाता है वहां, यथास्थिति, निर्धारण, पुनः निर्धारण या पुनः संगणना का आदेश करने के लिए निर्धारण अधिकारी को इस धारा के अधीन उपलब्ध परिसीमा की अवधि, धारा 245जक की उपधारा (4) के अधीन अवधि के अपवर्जन के पश्चात्, एक वर्ष से कम की नहीं होगी ; और जहां परिसीमा की ऐसी अवधि एक वर्ष से कम है वहां वह एक वर्ष के लिए बढ़ाई गई समझी जाएगी; और धारा 149, धारा 153ख, धारा 154, धारा 155, धारा 158खड और धारा 231 के अधीन परिसीमा की अवधि का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए और, यथास्थिति, धारा 243 या धारा 244 या धारा 244क के अधीन ब्याज के संदाय के प्रयोजनों के लिए, यह परन्तुक भी तदनुसार लागू होगा।”।

धारा 153क का संशोधन।

33. आय-कर अधिनियम की धारा 153क को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और,—

(क) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के दूसरे परंतुक में, “इस धारा में निर्दिष्ट” शब्दों के स्थान पर, “इस उपधारा में निर्दिष्ट” शब्द रखे जाएंगे और 1 जून, 2003 से रखे गए समझे जाएंगे ;

(ख) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 जून, 2003 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

“(2) यदि उपधारा (1) के अधीन आरंभ की गई कोई कार्यवाही या किया गया निर्धारण या पुनःनिर्धारण का कोई आदेश अपील में या किसी अन्य विधिक कार्यवाही में बातिल कर दिया गया है तो, उपधारा (1) या धारा 153 में किसी बात के होते हुए भी, किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में निर्धारण या पुनःनिर्धारण, जिसका उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन उपशमन हो गया है, आयुक्त द्वारा ऐसे बातिलीकरण के आदेश की प्राप्ति की तारीख से पुनःप्रवर्तित हो जाएगा :

परंतु यदि बातिलीकरण का ऐसा आदेश अपास्त कर दिया जाता है तो ऐसा पुनःप्रवर्तन प्रभावी नहीं रहेगा।”।

धारा 153ख का संशोधन।

34. आय-कर अधिनियम की धारा 153ख की उपधारा (1) में, 1 जून, 2003 से,—

(i) खंड (क) में, “धारा 153क” शब्द, अंकों और अक्षर के स्थान पर, “धारा 153क की उपधारा (1)” शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे;

(ii) स्पष्टीकरण में,—

(अ) खंड (vi) के पश्चात् और “अपवर्जित की जाएगी” शब्दों से पहले निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा और अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

“(vii) धारा 153क की उपधारा (2) में निर्दिष्ट निर्धारण या पुनःनिर्धारण की किसी कार्यवाही या आदेश के बातिलीकरण की तारीख से प्रारंभ होने वाली और ऐसी तारीख तक की अवधि, जिसको आयुक्त को ऐसे बातिलीकरण के आदेश को अपास्त करने वाला आदेश प्राप्त होता है।”;

(आ) परंतुक में, “इस धारा के खंड (क) या खंड (ख)” शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, “इस उपधारा के खंड (क) या खंड (ख)” शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे।

धारा 153ग का संशोधन।

35. आय-कर अधिनियम की धारा 153ग की उपधारा (1) के परंतुक में “धारा 153क” शब्द, अंकों और अक्षर के स्थान पर, “धारा 153क की उपधारा (1)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे और 1 जून, 2003 से रखे गए समझे जाएंगे।

धारा 153घ का संशोधन।

36. आय-कर अधिनियम की धारा 153घ में “धारा 153क” शब्द, अंकों और अक्षर के स्थान पर, “धारा 153क की उपधारा (1)” शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे और 1 जून, 2003 से रखे गए समझे जाएंगे।

धारा 156 का संशोधन।

37. आय-कर अधिनियम की धारा 156 में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु जहां धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन निर्धारिती द्वारा संदाय किए जाने के लिए किसी राशि का अवधारण किया जाता है, वहां उस उपधारा के अधीन सूचना इस धारा के प्रयोजनों के लिए मांग की सूचना समझी जाएगी।”।

धारा 191 का संशोधन।

38. आय-कर अधिनियम की धारा 191 में स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा और 1 जून, 2003 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके अंतर्गत किसी कंपनी का प्रधान अधिकारी भी है,—

(क) जिससे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी राशि की कटौती करना अपेक्षित है ; या

(ख) जो धारा 192 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट है और जो नियोजक है,

इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन यथा अपेक्षित संपूर्ण कर की या उसके किसी भाग की कटौती नहीं करता है अथवा इस प्रकार कटौती करने के पश्चात् संदाय करने में असफल रहता है या उसका संदाय नहीं करता है और जहां निर्धारिती भी ऐसे कर का सीधे संदाय करने में असफल रहा है वहां ऐसा व्यक्ति, ऐसे किन्हीं अन्य परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो वह उपगत करे, ऐसे कर की बाबत धारा 201 की उपधारा (1) के अर्थ के भीतर व्यतिक्रमी निर्धारिती समझा जाएगा।”।

39. आय-कर अधिनियम की धारा 193 के परंतुक के खंड (viii) के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित खंड 1 जून, धारा 193 का संशोधन। 2008 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(ix) किसी कंपनी द्वारा जारी किसी प्रतिभूति पर, जहां ऐसी प्रतिभूति डिमैटिरियलाइज रूप में है और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है, संदेय कोई ब्याज ।”।

40. आय-कर अधिनियम की धारा 194ग की उपधारा (1) में, खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खंड 1 जून, 2008 से धारा 194ग का संशोधन। अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(जक) कोई व्यक्ति-संगम या व्यष्टि निकाय चाहे निगमित हो या नहीं ; या”।

41. आय-कर अधिनियम की धारा 195 की उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— धारा 195 का संशोधन।

“(6) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति किसी राशि के संदाय से संबंधित जानकारी ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में देगा, जो बोर्ड द्वारा विहित की जाए ।”।

42. आय-कर अधिनियम की धारा 199 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

धारा 199 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

“199. (1) ऐसी कोई कटौती, जो इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों के अनुसार की गई है और केन्द्रीय सरकार को संदत्त की गई है, यथास्थिति, उस व्यक्ति की ओर से, जिसकी आय से कटौती की गई थी या प्रतिभूति के स्वामी या निक्षेपकर्ता या संपत्ति के स्वामी या यूनिटधारक अथवा शेयरधारक की ओर से कर का संदाय समझी जाएगी ।

(2) ऐसी कोई राशि, जो धारा 192 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट है और जिसका केन्द्रीय सरकार को संदाय कर दिया गया है, ऐसे व्यक्ति की ओर से, जिसकी आय की बाबत कर का ऐसा संदाय किया गया है, संदत्त कर समझी जाएगी ।

(3) बोर्ड, इस अध्याय के उपबंधों के निबंधनानुसार कटौती किए गए कर या संदत्त कर की बाबत मुजरा देने के प्रयोजनों के लिए, ऐसे नियम बना सकेगा, जो आवश्यक हों, जिनके अंतर्गत उपधारा (1) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को और उस निर्धारण वर्ष को, जिसके लिए ऐसा मुजरा दिया जा सकेगा, मुजरा देने के प्रयोजनों के लिए नियम भी हैं ।”।

43. आय-कर अधिनियम की धारा 201 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी और 1 जून, 2002 से धारा 201 का संशोधन। रखी गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

“(1) जहां ऐसा कोई व्यक्ति जिसके अंतर्गत किसी कंपनी का प्रधान अधिकारी भी है,—

(क) जिससे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी राशि की कटौती करना अपेक्षित है ; या

(ख) जो धारा 192 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट है और जो नियोजक है,

इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन यथा अपेक्षित संपूर्ण कर की या उसके किसी भाग की कटौती नहीं करता है या उसका संदाय नहीं करता है अथवा इस प्रकार कटौती करने के पश्चात् संदाय करने में असफल रहता है वहां ऐसा व्यक्ति, ऐसे किन्हीं अन्य परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो वह उपगत करे, ऐसे कर की बाबत व्यतिक्रमी निर्धारिती समझा जाएगा :

परंतु ऐसे व्यक्ति से धारा 221 के अधीन ऐसी कोई शास्ति तब तक प्रभारित नहीं की जाएगी जब तक कि निर्धारण अधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति, ऐसे कर की कटौती करने और उसका संदाय करने में, ठोस और पर्याप्त कारणों के बिना, असफल रहा है ।”।

44. आय-कर अधिनियम की धारा 203 की उपधारा (3) में, “1 अप्रैल, 2008” अंकों और शब्द के स्थान पर, “1 अप्रैल, 2010” धारा 203 का संशोधन। अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

45. आय-कर अधिनियम की धारा 206ग में,—

धारा 206ग का संशोधन।

(क) उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(4) इस धारा के उपबंधों के अनुसार संगृहीत और केन्द्रीय सरकार के खाते में संदत्त कोई रकम उस व्यक्ति की ओर से कर का संदाय समझी जाएगी, जिससे रकम संगृहीत की गई है और ऐसे व्यक्ति को किसी विशिष्ट निर्धारण वर्ष में इस प्रकार संगृहीत रकम के लिए ऐसे नियमों के अनुसार, जो समय-समय पर बोर्ड द्वारा विहित किए जाएं, मुजरा दिया जाएगा ।”;

(ख) उपधारा (5) के पहले परंतुक में, “1 अप्रैल, 2008” अंकों और शब्द के स्थान पर, “1 अप्रैल, 2010” अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

46. आय-कर अधिनियम की धारा 254 की उपधारा (2क) के तीसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक 1 अक्टूबर, 2008 धारा 254 का संशोधन। से रखा जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह भी कि यदि ऐसी अपील का पहले परंतुक के अधीन अनुज्ञात अवधि या दूसरे परंतुक के अधीन विस्तारित या अनुज्ञात अवधि या अवधियों के भीतर, जो किसी भी दशा में तीन सौ पैंसठ दिन से अधिक की नहीं होगी, इस प्रकार निपटारा नहीं किया

जाता है तो रोक आदेश ऐसी अवधि या अवधियों की समाप्ति के पश्चात् इस प्रकार बातिल हो जाएगा मानो अपील का निपटारा करने में विलंब निर्धारिती की ओर से नहीं हुआ है ।”।

नई धारा 268क का अंतःस्थापन । 47. आय-कर अधिनियम की धारा 268 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी और 1 अप्रैल, 1999 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

आय-कर प्राधिकारी द्वारा अपील या निर्देश के लिए आवेदन का फाइल किया जाना ।

“268क. (1) बोर्ड, समय-समय पर, इस अध्याय के उपबंधों के अधीन किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा अपील या निर्देश के लिए आवेदन के फाइल किए जाने को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए, ऐसी धनीय सीमाएं नियत करते हुए, जो वह ठीक समझे, अन्य आय-कर प्राधिकारियों को आदेश या अनुदेश या निर्देश जारी कर सकेगा । 5

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए आदेशों, अनुदेशों या निर्देशों के अनुसरण में, किसी आय-कर प्राधिकारी ने किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में किसी निर्धारिती के मामले में किसी विवादक के संबंध में, कोई अपील निर्देश के लिए या आवेदन फाइल नहीं किया है तो इससे ऐसा प्राधिकारी,— 10

(क) किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए उसी निर्धारिती के ; या

(ख) उसी या अन्य निर्धारण वर्ष के लिए किसी अन्य निर्धारिती के,

मामले में उसी विवादक पर निर्देश के लिए कोई अपील या आवेदन फाइल करने से निवारित नहीं होगा ।

(3) इस बात के होते हुए भी कि उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए आदेशों, अनुदेशों या निर्देशों के अनुसरण में किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा कोई अपील या निर्देश के लिए आवेदन फाइल नहीं किया गया है, किसी निर्धारिती के लिए, जो किसी अपील या निर्देश में पक्षकार है, यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह इस बात का प्रतिवाद करे कि आय-कर प्राधिकारी ने किसी मामले में अपील या निर्देश के लिए कोई आवेदन फाइल न करने के बारे में विवादग्रस्त विवादक पर विनिश्चय में उपमति दी है । 15

(4) ऐसी अपील या निर्देश की सुनवाई करने वाला अपील अधिकरण या न्यायालय उपधारा (1) के अधीन जारी आदेशों, अनुदेशों या निर्देशों और उन परिस्थितियों का ध्यान रखेगा जिनके अधीन किसी मामले की बाबत ऐसी अपील या निर्देश के लिए आवेदन फाइल किया गया था या नहीं किया गया था । 20

(5) ऐसे प्रत्येक आदेश, अनुदेश या निर्देश को, जो बोर्ड द्वारा किसी अपील या निर्देश के लिए आवेदन को फाइल करने के संबंध में धनीय सीमाओं को नियत करने के लिए जारी किया गया है, उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया समझा जाएगा और उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।”।

धारा 271 का संशोधन । 48. आय-कर अधिनियम की धारा 271 की उपधारा (1क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी और 1 अप्रैल, 1989 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :— 25

“(1ख) जहां निर्धारण या पुनः निर्धारण के किसी आदेश में किसी निर्धारिती की कुल आय या हानि की संगणना करने में कोई रकम जोड़ी या अनुज्ञात की जाती है और उक्त आदेश में उपधारा (1) के अधीन शास्ति की कार्यवाहियां आरंभ किए जाने का निर्देश अंतर्विष्ट है, तो निर्धारण या पुनः निर्धारण के ऐसे आदेश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उपधारा (1) के अधीन शास्ति की कार्यवाहियां आरंभ किए जाने के लिए निर्धारण अधिकारी के समाधान का गठन करता है ।”। 30

नई धारा 273कक का अंतःस्थापन । 49. आय-कर अधिनियम की धारा 273क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

शास्ति से उन्मुक्ति देने की आयुक्त की शक्ति।

“273कक. (1) कोई व्यक्ति शास्ति से उन्मुक्ति देने के लिए आयुक्त को आवेदन कर सकेगा, यदि,—

(क) उसने धारा 245ग के अधीन समझौते के लिए आवेदन किया है और समझौते की कार्यवाहियों का धारा 245जक के अधीन उपशमन हो गया है ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन शास्ति की कार्यवाहियां आरंभ कर दी गई हैं। 35

(2) उपधारा (1) के अधीन आयुक्त को आवेदन उपशमन के पश्चात् शास्ति के अधिरोपण के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(3) आयुक्त ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे, व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन किसी शास्ति के अधिरोपण से उन्मुक्ति प्रदान कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति ने उपशमन के पश्चात् आय-कर प्राधिकारी को उसके समक्ष कार्यवाहियों में सहयोग किया है और अपनी आय और उस रीति का, जिसमें ऐसी आय व्युत्पन्न की गई है, पूर्ण और सही प्रकटन किया है । 40

(4) उपधारा (3) के अधीन किसी व्यक्ति को दी गई उन्मुक्ति वापस ले ली जाएगी, यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी किसी शर्त का पालन करने में असफल रहता है, जिसके अधीन रहते हुए उन्मुक्ति प्रदान की गई थी और तत्पश्चात् इस अधिनियम के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसी उन्मुक्ति प्रदान नहीं की गई हो ।

(5) उपधारा (3) के अधीन किसी व्यक्ति को प्रदान की गई उन्मुक्ति आयुक्त द्वारा किसी समय वापस ली जा सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति ने उपशमन के पश्चात् किन्हीं कार्यवाहियों के दौरान आय-कर प्राधिकारी से निर्धारण के लिए सारवान् किन्हीं विशिष्टियों को छिपाया था और मिथ्या साक्ष्य दिया था तथा तत्पश्चात् ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम 45